रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2012/फाल्गुन 8, 1933
No. 60] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2012/PHALGUNA 8, 1933

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2012

सं. 4-5/2009-डब्ल्यू.डब्ल्यू.—भारत सरकार ने भारत में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 1971 में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति बनाई । इस समिति ने "समानता की ओर" शीर्षक की रिपोर्ट दिसम्बर, 1974 में प्रस्तुत की । रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी स्थिति सुधारने के लिए सरकार तथा सिविल समाज के संगठनों दोनों के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं । इन प्रयासों के परिणामस्वरूप महिलाओं के प्रति और अवसरों एवं संसाधनों पर उनके अधिकारों की स्वीकार्यता के प्रति समाज की अवधारणा बदल गई है ।

2. महिलाओं के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तीकरण का अध्ययन करने तथा कार्यनीतियों की अनुशंसा करने हेतु गठित राज्यपालों की समिति ने 3 फरवरी, 2009 की अपनी रिपोर्ट में महिलाओं की वर्तमान स्थिति एवं महिला सशक्तीकरण संबंधी विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणाम की जांच करने हेतु महिलाओं की स्थिति पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने की सिफारिश की है । मंत्री समूह ने, जिसने राज्यपालों की समिति की सिफारिशो की जांच की, इस प्रस्ताव का समर्थन किया है । मंत्री समूह ने प्रतिष्ठित विशेषज्ञ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सिफारिश की है ।

3. उपर्युक्त घटनाक्रम के मद्देनजर वर्ष 1989 से महिलाओं की स्थिति को समझने हेतु एक अन्य व्यापक अध्ययन कराने के लिए तथा महिलाओं की आवश्यकताओं के समसामयिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त नीतिगत उपाय करने हेतु महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का भारत सरकार ने अनुमोदन कर दिया है ।

4. समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-

i.	न्यायमूर्ति रूमा पाल	- अध्यक्ष
ii.	प्रो. बीना अग्रवाल	- सदस्य
iii.	डॉ. अमीता सिंह	- सदस्य
iv.	डॉ. पाम राजपूत	- सदस्य
v.	सुश्री रीता सरीन	- सदस्य
vi.	डॉ. मनोरमा सिंह	- सदस्य
vii.	डॉ शांता कृष्णन	-सदस्य
viii.	डॉ निर्मला देवी	-सदस्य
ix.	सुश्री मनीरा ए पिन्टो	-सदस्य
x.	श्रीमती विजयलक्ष्मी कोल	-सदस्य
xi.	सुश्री प्रतिमा थामी	-सदस्य
xii.	श्रीमती सुमन कुमार	-सदस्य
xiii.	श्रीमती अनुसुईया शर्मा	-सदस्य
xiv.	डॉ सिमरित कौर	-सदस्य
xv.	श्रीमती दीपा जैन सिंह	-सदस्य सचिव

5. उपर्युक्त उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ बिंदु निम्नलिखित है:-

(क) उच्च स्तरीय समिति भारत में महिलाओं की स्थिति पर लगभग 1989 के बाद के प्रकाशित आंकडो, रिपोर्टो, लेखों और अनुसंधान का अध्ययन करने के लिए गहन साहित्य सर्वेक्षण करेगी ।

(ख) उच्च स्तरीय समिति भारत में महिलाओं की हालिया सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी । रिपोर्ट में महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण हेतु इन पहलुओं के परस्पर संबंध का उनके प्रभाव के अनुसार उल्लेख किया जाएगा और उपाय सुझाए जाएंगे ।

(ग) उच्च स्तरीय समिति अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और पोषाहारीय, कानूनी और राजनीतिक स्थिति, ग्रामीण/शहरी का अलग-अलग, आर्थिक और सामाजिक स्थिति (उदाहरण गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा के नीचे, अनु.जाति/अनु.जनजाति, अविवाहित महिला, अक्षम महिला, प्रवासी महिला) सहित महिलाओं की समग्र स्थिति की जांच करेगी और जहां कहीं संभव हो उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देगी (उदाहरण मुस्लिम/अन्य)। विश्लेषण में विभिन्न क्षेत्रों में अंतरों को ध्यान में रखा जाएगा और घर एवं परिवार के बाहर दोनों में असमानता पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा । यह समिति मौजूदा नीतियों और समानता संबंधी कानूनी बदलाव, सुरक्षा और महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के प्रभाव का भी मूल्यांकन करेगी तथा नीति और कानून में असमानता और क्रियान्वयन में कमियों की पहचान करेगी ।

(घ) उच्च स्तरीय समिति अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित की जांच करेगी:

i. औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रदत्त रोजगार तक महिलाओं की पहुँच और भागीदारी; भागीदारी के उभरते क्षेत्र, उनके आर्थिक क्रियाकलापों के भौगोलिक पैटर्न, बिना भुगतान के कार्य/देखभाल अर्थव्यवस्था आदि ।

(घ) उच्च स्तरीय समिति अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित की जांच करेगी:

i. औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रदत्त रोजगार तक महिलाओं की पहुँच और भागीदारी; भागीदारी के उभरते क्षेत्र, उनके आर्थिक क्रियाकलापों के भौगोलिक पैटर्न, बिना भुगतान के कार्य/देखभाल अर्थव्यवस्था आदि ।

ii. उनकी बुनियादी परिसंपत्ति और आय के स्तर, संपत्ति तक पहुंच और नियंत्रण, भूमि और अन्य उत्पादक संसाधन ।

iii. सूक्ष्म वित्त, बैंक ऋण, प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन, विपणन आदि की सुलभता और उत्पादकता की वृद्धि में आने वाली बाधाएं ।

iv. महिलाओं के प्रति समाज की सोच और उसमें परिवर्तन-भेदभाव जैसाकि विभिन्न आयु वर्गों में घटता लिंग अनुपात, निर्णय लेने में भागीदारी, घर तथा परिवार के बाहर महिलाओं के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार की बारबरता में परिवर्तन और रीति-रिवाजों के कारण भेदभाव के अन्य रूप ।

v. स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के उपयुक्त संसूचकों के अर्थ में सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर ।

vi. महिलाओं पर कानूनों का प्रभाव और प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं पर संकेन्द्रित तथा सीधे महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों के संबंध में कमियां । ऐसा करते समय कानूनों के प्रति महिलाओं की जागरूकता, कानून तक पहुँच, कारगर रूप से कानूनों का उपयोग करने में महिलाओं की असमर्थता, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता, जाति आधारित पंचायतों और अन्य प्रथाओं की भूमिका, कारावास और अन्य अभिरक्षात्मक संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति ।

vii. पंचायतों, राज्य विधान मंडल और संसद में भागीदारी के संबंध में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन, भागीदारी की प्रकृति और सीमा, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन की चुनौतियां और इस के प्रभाव ।

viii. सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और पोषाहारीय, कानूनी और राजनीतिक सहित महिलाओं की समग्र स्थिति संबंधी मुख्य महिलोन्मुख कार्यक्रमों और स्कीमों के प्रभाव का मूल्यांकन ।

ix. महिलाओं के स्तर का निर्धारण करने में उपरोक्त ढांचे के अंतर्गत कोई अन्य मुद्दा जिसे समिति प्रासंगिक समझे ।

(ङ) समिति उपाय करने के क्षेत्रों की पहचान करेगी और महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण हेतु सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई करने के उपायों की सिफारिश करेगी ।

(च) समिति अपना कार्य पूरा करेगी और 2 वर्ष के भीतर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

6. उच्च स्तरीय समिति को सभी मंत्रालयों/विभागों और सरकार के अधीन अन्य निकायों द्वारा यथा संभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनके कार्यों को सुसाध्य बनाने हेतु आंकड़ों और सूचना का समय पर संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके ।

7. उच्च स्तरीय समिति, जैसाकि उचित समझे, ऐसे व्यक्ति(यों) को विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

8. यह समिति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन होगी और उसे अपेक्षित कार्यालय की जगह एवं उपकरण तथा सचिवीय/अन्य कर्मचारी प्रदान किए जाएंगे ।

9. अध्यक्ष और सदस्य/सदस्य सचिव के हक सहित अन्य निबंधन और शर्तें अलग से जारी की जाएंगी ।

10. इस पर होने वाला व्यय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उठाया जाएगा ।

सुधीर कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 27th February, 2012

No. 4-5/2009-WW.—The Government of India constituted a Committee on the status of women in 1971 to assess the impact of the constitutional, legal and administrative provisions on the social and economic status of women in India. This Committee submitted its report titled "Towards Equality" in December, 1974. Since submission of the Report, a number of initiatives have been taken both by Government and the Civil Society Organisations to improve the socio-economic and legal status of women. These efforts have led to a change in the perception of society towards identity of women and acceptance of their rights to opportunities and resources.

2. The Committee of Governors constituted to 'Study and Recommend Strategies for Speedy Socio-Economic Development and Empowerment of Women', in its report dated 3rd February, 2009 recommended setting up of a National Commission on Status of Women to look into the current status of women and the outcome of various development programmes relating to women's empowerment. The Group of Ministers which examined the recommendations of the Committee of Governors endorsed this proposal and recommended setting up of a High Level Committee with an eminent expert as a Chairperson.

3. Keeping in view the above development, the Government of India has approved setting up of a High Level Committee on the status of women to undertake another comprehensive study to understand the status of women since 1989 as well as to evolve appropriate policy interventions based on a contemporary assessment of women's needs.

4. The composition of the Committee shall be as under:-

i.	Justice Ruma Pal	Chairperson
ii.	Prof Bina Agarwal.	Member
iii.	Dr Amita Singh.	Member
iv.	Dr Pam Rajput.	Member
v.	Ms Rita Sarin.	Member
vi.	Dr Manorma Singh.	Member
vii.	Dr Shantha Krishnan.	Member
viii	Dr Nirmala Devi.	Member
ix.	Ms Manira A Pinto.	Member
x	Smt Vijayluxmi Koi.	Member
xi.	Ms Pratima Thami.	Member
xii.	Mrs Suman Kumar.	Member
xiii.	Mrs Anusuiya Sharma.	Member
xiv	Dr Simrit Kaur.	Member
xv.	Smt Deepa Jain Singh.	Member Secretary

5 The Terms of Reference of the above High Level Committee (HLC) are as follows:-

a) The HLC will conduct an intensive literature survey to take stock of published data, reports, articles and research from about 1989 onwards, on the status of women in India.

606 GI/12-2

b) The HLC will prepare a Report on the current socio- economic, political and legal status of women in India. The Report will also bring out the interconnectedness of these aspects in terms of their impact on women and recommend measures for holistic empowerment of women.

c) The HLC will examine the overall status of women including, inter-alia, the socio-economic, health and nutritional, legal and political status, disaggregated by rural/urban, economic and social position (e.g. APL/BPL, SC/ST, single women, disabled women, migrant women) and wherever possible by minority status (e.g. muslims/others). The analysis would take account of cross-regional differences and focus on inequalities both within and outside the household. It would also assess the impact made by existing policies and legislative changes on equality, security and holistic empowerment of women, and will identify inequalities in policy and legislation as well as gaps in implementation.

d) The HLC will, inter-alia, examine:

i. women's access to and participation in formal and informal paid employment; emerging areas of participation, geographical pattern of their economic activity, unpaid work/ care economy, etc

ii. their asset base and income levels, access to and control over property, land and other productive resources.

iii. access to micro-finance, bank credit, training and skill upgradation, marketing etc and constraints on increase in productivity.

iv. societal attitude to women and changes therein- discrimination as reflected in declining sex ratio in different age groups, age at marriage, involvement in decision making; and changes in the extent and nature of violence and abuse of women, both within and outside the house; and other forms of discrimination on account of customary practices.

v. level of socio-economic development in terms of relevant indicators of health, nutrition and education.

vi. impact of laws on women and gaps in respect of laws which are directly focused on women as well as those which affect women indirectly. While doing so, the Committee would also look into women's awareness of the laws, access to law, women's inability to use laws effectively, sensitivity of law enforcement agencies as well as the judiciary, role of caste panchayats and other customary practices, condition of women in prisons and other custodial institutions.

vii. change in women's political status with respect to their participation in Panchayats, State Legislature and Parliament, the nature and extent of participation, challenges and impact of change in women's political status on their socio-economic empowerment.

viii. Assess the impact of major women centric programmes and schemes on improving the overall status of women including, inter-alia, socio-economic, heath, and nutritional, legal and political.

ix. Any other issue that the Committee may think is of relevance, within the above framework, for determining the status of women.

e) The Committee would identify areas of intervention and recommend measures for affirmative action by the Government for the holistic empowerment of women.

f) The Committee will complete its assignment and present its report to the Ministry of Women and Child Development within two years.

g) During its tenure and prior to submission of the final Report, the HLC may bring out working papers/background papers.

h) The Committee will devise its own procedure to conduct the study.

6. The above High Level Committee will be provided all possible assistance by all Ministries/ Departments and other bodies under the Government to ensure timely collection of data and information to facilitate their task.

7. The HLC may invite such person(s) as it deems appropriate, to participate in any of its meetings as special invitee(s).

8 The Committee will be located under the Ministry of Women and Child Development and will be provided required office space cum equipment and secretarial/ other staff.

9. The other terms and conditions including entitlements of Chairperson and Members/ Member Secretary will be issued separately.

10. The expenditure involved will be borne by the Ministry of Women and Child Development.

SUDHIR KUMAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.